तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टि.ए./4942/2005/भरतपुर** **रामप्रसाद बनाम ओमप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-08-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित–** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान उप खण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 21-9-2005 को प्रकरण संख्या 554/02 शीर्षक रामसिंह बनाम रीजनल मैनेजर, रीको में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्तागण उभय की बहस निगरानी पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण-प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें वादी-प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण से सम्बन्धित रहे और प्रकरण में सुसंगत रहे दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे, जिस प्रार्थना पत्र को आक्षेपित निगरानीधीन आदेश के द्वारा अविधिक रुप से खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का सदुपयोग किए बिना माना है कि ये दस्तावेजात वादी के पजैसन में पहले से रहे हैं, किन्तु इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात प्रकरण में निहित विवाद बिन्दु को तय करने के लिए आवश्यक रहे हैं और इनमें से कुछ राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां हैं और कुछ प्रमाणित निर्णय की प्रतियां हैं। अतः ये दस्तावेजात विधिवत प्रमाणित होने से इनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को पूर्णतया समझे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टि.ए./4942/2005/भरतपुर** **रामप्रसाद बनाम ओमप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिना ही नॉन रीजण्ड व नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है, जिसे निरस्त किया जाये और निगरानी को स्वीकार किया जा कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाये। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं वे पहले से ही प्रार्थी के अधिकार में रहे हैं और प्रकरण को अनावश्यक देरीना करने के उद्देश्य से ही इन्हें काफी देरी से प्रस्तुत किया गया है। प्रावधानों के तहत वाद में किसी विवाद बिन्दु के निर्धारण के लिये यदि न्यायालय उचित समझता है और पेश किए दस्तावेजात को रिलैवैण्ट मानता है तो इन्हें स्वीकार कर रिकार्ड पर लेने का आदेश दे सकता है। अन्त में कथन किया कि निगरानी का स्कोप सीमित होने से व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज की जाये। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। आदेश 7 नियम 14 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार वादी अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ये दस्तावेजात यदि बाद में प्रस्तुत किये जाते हैं तो वादी को देरी से पेश करने में न्यायोचित कारण प्रस्तुत करने चाहिए। वर्तमान प्रकरण में वादी के द्वारा जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं, वादी को स्पष्ट करना चाहिए था कि किन कारणों से ये दस्तावेजात पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये गये जब कि वाद वर्ष 1997 से लंबित रहा है और ये दस्तावेजात दिनांक 5-3-2004 को प्रस्तुत किए गए हैं। स्पष्ट है कि वाद प्रस्तुत होने के करीब 8 साल के बाद काफी देरीना ये दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं। इन दस्तावेजात में भू प्रबन्ध का रिकार्ड व रेफरेन्स मीमो हैं जो कि वादी के ज्ञान में पूर्व से न रहे हों, स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवेक का सदुपयोग करते हुये व प्रकरण को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टि.ए./4942/2005/भरतपुर** **रामप्रसाद बनाम ओमप्रकाश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनावश्यक देरीना नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुये ही निगरानीधीन आदेश पारित किया है। इस आदेश में क्षेत्राधिकार के सदुपयोग नहीं किये जाने सम्बन्धी को भूल नहीं होने से मण्डल में निहित अधिनियम, 1955 की धारा 230 की शक्तियों के तहत हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	